राष्टीय एकल नारी अधिकार मंच

ज्ञापन

अक्टूबर 2009

1. एकल महिला को अलग पारिवारिक इकाई की मुखिया माना जाए तथा हमें तत्काल अलग राशन कार्ड दिया जाए। और सभी गरीब एकल महिलाओं को बी.पी.एल. सूचि में जोड़ा जाए।
2. केन्द्र सरकार परित्यकता महिला को परिभाषित करे और उनके लिए नीति बनाए।
3. केन्द्र सरकार ऐसा नियम लागू करें कि यदि राज्य सरकार को केंद्र सरकार का वित्तीय योगदान चाहिए तो वे सरकारी कार्यक्रमों/योजनाओं से "कोटा" व्यवस्था हटाएं।
4. सभी गरीब एकल महिलाओं को 1000 रू प्रति माह सामाजिक सुरक्षा पेन्शन दी जाये।
5. एकल महिलाओं के लिये स्वास्थ्य सेवाएं –
    - सभी एकल महिलाओं व उनके बच्चों के लिये निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराई जाये।
    - विकलांग एकल महिलाओं को विशेष स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध निःशुल्क कराई जाये और विशेष पेंशन दी जाए।
    - एच.आई.वी/एड्स की फस्ट लाइन दवाई निःशुल्क जारी रखते हुए, सेकण्ड लाइन दवाईयां भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए।
6. एकल महिलाओं के भूमि व संपत्ति पर अधिकार–
    - सभी महिलाओं को भले ही वे किसी भी जाति, धर्म या वर्ग की हों, उन्हें अपनी पैतृक व ससुराल की भूमि एवं संपत्ति में पुरूषों के बराबर का अधिकार होना चाहिए।
    - शादी के निबंधन के साथ ज़मीन और संपत्ति के दस्तावेजों में पत्नी का नाम जोड़ा जाए तथा जमीन व संपत्ती की खरीद व बिक्री के मामले में महिलाओं की सहमति कानूनी रूप से अनिवार्य की जाए।
    - अगर कोई महिला जमीन व सम्पत्ति पर अधिकार के लिये कोर्ट में केस लड़ रही हो, तो कोर्ट का फैसला आने तक वह ज़मीन या सम्पत्ति महिला के आधिपत्य में रहे।
    - सभी आवास–हीन एवं भूमि–हीन एकल महिलाओं को आवास और अजीविका के लिए जमीन आवंटित की जाए।
7. अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार प्रतिबंधक कानून जैसा प्रभावी कानून, एकल महिलाओं पर अत्याचार करने वालों के लिए बनाया जाए और तुरंत लागू किया जाए।
8. महिला अधिकारों से जुड़े मामलों के निपटारे के लिये फास्ट ट्रेक कोर्ट की स्थापना जिला और अनुमण्डल स्तर पर की जाए।
9. एकल महिलाओं के लिये अलग बजट मद बनाया जाए।
10. जनगणना रिपोर्ट (2011) में एकल महिलाओं की विभिन्न श्रेणियों को अलग वर्ग के रूप में दर्शाया जाए: 1. विधवा 2. तलाकशुदा 3. परित्यकता 4. अविवाहित